बिहार सरकार
**निर्वाचन विभाग**
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

## प्रेस विज्ञप्ति

पटना – 10 अप्रैल, 2024

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बिहार राज्य निर्वाचन विभाग निष्पक्ष, स्वच्छ एवं स्वस्थ चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्प है। एक ओर जिलों में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण तथा समस्त गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण जोर–शोर से चालू है, साथ ही समस्त तैयारियाँ भी प्रगति पर हैं।

इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के क्रम में द्वितीय चरण से संबंधित कुल 05 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक–09.04.2024 के अपराह्न में किशनगंज, कटिहार, पूर्णियाँ एवं भागलपुर तथा दिनांक–10.04.2024 के पूर्वाह्न में बांका लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में EVM एवं VVPAT का द्वितीय रैण्डमाइजेशन किया गया। द्वितीय रैण्डमाइजेशन निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस दौरान संबंधित लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक भी उपस्थित रहे। जिसका विवरण निम्नवत् है:–

| Sl. No | PC | Total No of AS | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 10-Kishanganj | 6 | Completed |
| 2 | 11-Katihar | 6 | Completed |
| 3 | 12-Purnia | 6 | Completed |
| 4 | 26-Bhagalpur | 6 | Completed |
| 5 | 27-Banka | 6 | Completed |
| **Total** | | **30** | |

मतदाता जागरूकता के तहत उल्लेखनीय है कि आज, दिनांक 10 अप्रैल 2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के कार्यालय एवं परिवहन विभाग बिहार द्वारा संयुक्त रूप से स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाता जागरूकता पर आधारित सूचनाओं और संदेशों के साथ BSRTC (Bihar State Road Transport Corporation) की बसों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री एच आर श्रीनिवास के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों यथा पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णियाँ एवं मुजफ्फरपुर के द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से प्राप्त एवं अनुमोदित मतदाता जागरूकता संदेशों को BSRTC के माध्यम से कुल 304 बसों (पटना–110, दरभंगा–26, मुजफ्फरपुर–60, भागलपुर–31, गया–50, पूर्णियाँ–27 के लिए) पर मतदाता जागरूकता संदेशों को प्रचारित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निगम के विभिन्न बस पड़ावों पर लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर मतदाता जागरूकता गतिविधियों से संबंधित संदेशों को लाउड स्पीकर के माध्यम से भी समय–समय पर उद्घोषणा करने हेतु निदेशित किया गया है।

इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि चुनाव की सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बिहार के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वे अपने मतदान के अधिकार को समझें और मतदान के दिन बढ़–चढ़ कर वोट करने मतदान केन्द्र पर पहुँचें। भारत निर्वाचन आयोग स्वच्छ, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध है।

इस कार्यक्रम में परिवहन विभाग के सचिव श्री संजय अग्रवाल, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री आलोक रंजन घोष तथा श्री आनंद कुमार शर्मा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी श्री शीर्षत कपिल अशोक, परिवहन आयुक्त श्री विशाल राज तथा बीएसआरटीसी के प्रशासक श्री अभय झा, निर्वाचन विभाग, परिवहन विभाग तथा जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे।

प्राप्त सूचनानुसार लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य में औरंगाबाद जिलांतर्गत वाहन दुरूपयोग के संदर्भ में एक (01) केस रिकॉर्ड है तथा अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में एक (01) केस रिकॉर्ड किया गया है। भागलपुर जिलांतर्गत लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के मामले में एक (01) केस रिकार्ड किया गया है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है। बक्सर जिलांतर्गत वाहन दुरूपयोग के संदर्भ में एक (01) केस रिकॉर्ड है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है। नालंदा जिलांतर्गत वाहन दुरूपयोग के संदर्भ में एक (01) केस रिकॉर्ड है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है। पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में तीन (03) केस रिकॉर्ड किया गया है तथा तदनुसार तीन (03) एफआईआर दर्ज है। सहरसा जिलांतर्गत अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में एक (01) केस रिकॉर्ड किया गया है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है। वैशाली जिलांतर्गत वाहन दुरूपयोग के संदर्भ में एक (01) केस रिकॉर्ड है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है।

आदर्श आचार संहिता के तहत निजी सम्पत्तियों के मामले में पोस्टर के पाँच (05) तथा बैनर के एक (01) मामलों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है।

दिनांक 09.04.2024 को कुल **₹5.70400**(लाख) रूपये नगद बरामद किये गये हैं। कुल जब्त लिकर–25769.10(लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य **₹120.74584**(लाख) रूपये हैं। जहाँ तक ड्रग्स तथा नारकोटिक्स की बात है तो कुल **₹25.60200**(लाख) रूपये मूल्य के 92020.00(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। वही कीमती धातुओं की बात है तो कुल **₹14.26330**(लाख) रूपये मूल्य के 27158.00(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। मुफ्त/अन्य सामग्रियों के तहत कुल **₹81.96565**(लाख) रूपये मूल्य की 32177.75 सामग्रियों को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल **₹248.28079**(लाख) रूपये मूल्य की कुल जब्ती प्रतिवेदित है।